राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2910/2023

राजेन्द्र महे **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रुप–5) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (ग्रुप–5) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शीतल जैन, मैनेजर, विश्राम गृह, हनुमानगढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 25.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति फरवरी, 1996 में हाउस कीपर के पद पर हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 06.03.1996 को कार्य ग्रहण किया। वर्ष 2012 में हाउस कीपर की स्थायी वरीयता सूची जारी की गई थी। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम सं. 64 पर है तथा प्रत्यर्थी सं. 3 का नाम क्रम सं. 66 पर है तथा आदेश दिनांक 04.01.2017 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम 49 पर है तथा प्रत्यर्थी सं. 3 का नाम क्रम 51 पर है तथा वर्ष 2018 में भी वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम 29 पर है तथा निजी प्रत्यर्थी का नाम क्रम 30 पर है। अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी से हाउस कीपर की कैडर पोस्ट में वरिष्ठ होने के बावजूद प्रत्यर्थी सं. 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक 02.05.2023 के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई तथा निजी प्रत्यर्थी सं. 3 की पदोन्नति सहायक प्रबंधक के पद पर वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई, जबकि नियमानुसार अपीलार्थी की पदोन्नति निजी प्रत्यर्थी से पूर्व की जानी चाहिए थी। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार रिक्तियों का निर्धारण पदोन्नति समिति के वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रेल की वास्तविक रिक्तियों को मिलाते हुए किया जाना है तथा नियम 13.3 व 13.4 में जिस वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जाना है, उससे पूर्व

के 7 वर्षों का अभिलेख देखा जाना है। अपीलार्थी के वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध 01.04.2020 से पूर्व ना तो कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन थी व ना ही अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का आरोप पत्र जारी किया गया था और ना ही अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन थी। उक्त तथ्यों के बावजूद प्रत्यर्थी सं. 2 ने आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ शीतल जैन, सुमन सम्राट व हरभगवान सिंह व अन्य को पदोन्नति प्रदान की गई, जो अपीलार्थी से वरिष्ठता में कनिष्ठ है तथा अपीलार्थी को वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति से वंचित किया गया। अपीलार्थी ने यह प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व सहायक प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी तथा समस्त नकद व ब्याज प्रदान किये जाए, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रदान किये गये हैं।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 में रिक्त वरिष्ठ हाउस कीपर के पदों पर पदोन्नति दिये जाने हेतु पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.03.2023 को आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2020–21 की रिक्ति के विरूद्ध अपीलार्थी पदोन्नति हेतु पात्र था, किन्तु अपीलार्थी तत्समय पदस्थापन स्थान राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में अर्जुन कदम, सी०बी०आई० अधिकारी एवं अन्य गिरफ्तार व्यक्ति दिनेश खण्डेलवाल के प्रकरण में दिनांक 16.09.2019 को निलम्बित किया गया तथा प्रकरण की गहन जांच करवायी जाकर दिनांक 13.11.2019 को अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर विभागीय पत्र क्रमांकः प.8(2)साप्र/5/2019 दिनांक 02.12.2019 द्वारा उप महाप्रबन्धक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली को अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुसार 16 सीसीए की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाकर ज्ञापन, आरोप–पत्र पत्रादि तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी अनुपालना में उप महाप्रबन्धक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली द्वारा नियम–16 के अन्तर्गत आरोप–पत्रादि तैयार कर अनुमोदन पश्चात् अपने पत्रांकः प.19(60)/रा०हा०/2020/397 दिनांक 23.05.2020 द्वारा जारी कर दिये गये। अपीलार्थी दिनांक 28.02.2022 तक निलम्बित रहे। प्रकरण की जांच प्रबन्धक, विश्राम भवन, अलवर द्वारा कराई गई तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा अपीलार्थी को दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी

प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड के कारण अपीलार्थी वर्ष 2020–21 की पदोन्नति हेतु पात्र होने के बावजूद भी पदोन्नति समिति द्वारा आगामी दो पदोन्नति वर्षों तक डेफर रखे जाने की अनुशंषा की गई। जिस कारण अपीलार्थी को वर्ष 2020–21 में पदोन्नति नही दी जाकर वर्ष 2022–23 में सहायक प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाकर आदेश दिनांक 02.05.2023 प्रसारित किये गये, जो कि नियमानुसार सही है।

3. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 06.02.2008 के अनुसार जिस वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जाना है उससे पूर्व के 7 वर्षो का अभिलेख देखा जाना होता है। अतः वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 01.04.2020 से पूर्व का अभिलेख देखा जाना है। कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 04.06.2008 का मद संख्या 12.2 निम्न प्रकार है :–

> ''12.2 अनुशासनिक कार्यवाही के सन्दर्भ में यह स्पष्ट स्थिति है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र विधिवत रूप से प्रसारित किये जाने की स्थिति में ही अनुशासनिक जांच कार्यवाही लम्बित होना माना जाएगा।''

4. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्रसारित किये जाने की स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही जांच लम्बित होना मानी जाएगी। हम पाते हैं कि दिनांक 01.04.2020 तक अपीलार्थी को आरोप पत्र प्रसारित नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब के अनुसार अपीलार्थी को आरोप पत्र दिनांक 23.05.2020 को जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में वर्ष 2020–21 की रिक्तियों पर विचार किये जाने में कोई बाधा नहीं थी। अपीलार्थी को जो दण्डादेश प्राप्त हुआ है, वह भी दिनांक 01.04.2020 के बाद ही प्राप्त हुआ है। ऐसे में वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के संबंध में अपीलार्थी को बाद में दिनांक 18.02.2022 को दिया गया दण्डादेश नहीं देखा जा सकता। ऐसे में अपीलार्थी को जो दो वर्ष की वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया है, उसका प्रभाव वर्ष 2020–21 की रिक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता था।

5. परिणामस्वरूप हम पाते हैं कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार किया जा सकता था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश

दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को हाउस कीपर से सहायक प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाकर अपीलार्थी की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार किया जाए और अपीलार्थी को वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को नियमानुसार पदोन्नति दी जाकर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाए।

6. उपरोक्त कार्यवाही चार माह में पूर्ण करना सुनिश्चित की जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)